भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1415

31 जुलाई, 2024 के लिए प्रश्न

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण

1415. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के लिए कुल कितना योजनाबद्ध वित्तीय आवंटन किया गया है और इसके अंतर्गत कितने लाभार्थियों को अतिरिक्त निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है; और

(ख) निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान पीएमजीकेएवाई को किस तरह लागू किया गया था?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): देश में कोविड-19 के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों की वजह से गरीबों और जरूरतमंदों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के विशेष उद्देश्य से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को प्रारंभ किया गया था। कोविड संकट के मद्देनजर, पीएमजीकेएवाई के तहत खाद्यान्नों का निःशुल्क आबंटन नियमित आबंटन के अतिरिक्त था। पीएमजीकेएवाई (चरण I-VII) के तहत लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये के कुल योजनागत वित्तीय परिव्यय के साथ 28 माह की अवधि के लिए लगभग 1118 लाख टन खाद्यान्नों की कुल मात्रा का आबंटन किया गया था।

गरीब लाभार्थियों के वित्तीय बोझ को समाप्त करने और इस कार्यक्रम की राष्ट्रव्यापी एकरूपता एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने दिनांक 1 जनवरी, 2023 से पीएमजीकेएवाई के तहत अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवारों और प्राथमिकता वाले परिवारों (पीएचएच) के लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। निःशुल्क खाद्यान्नों के वितरण की अवधि को दिनांक 1 जनवरी, 2024 से पांच वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसके लिए 11.80 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तीय परिव्यय का संपूर्ण वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा।

******